न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 01/2017 (76 एल .आर. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00002

उनवान

ग्यासी पुत्र धरम जाति गुर्जर निवासी बन्ध बारैठा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 17.11.2016 प्र.संख्या 99/2016 उनवानी ग्यासी बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. राजकीय अभि0 श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

निर्णय दिनांक– 12.07.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 17.11.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार बयाना ने सिवायचक भूमि, खसरा नम्बर 3413 रकवा 447 वर्गगज वाके ग्राम बंध बरैठा तहसील बयाना पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण सिद्ध होने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने, पैनल्टी राशि आरोपित करने एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष की गई। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा उक्त अपील, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2016 से खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। अपीलाण्ट का विवादित भूखण्ड पर कब्जा उसके पूर्वजो के जमाने से है। विवादित भू खण्ड को अपीलाण्ट अपने कृषि उपकरण के रख रखाव एवं मवेशी बॉधने तथा रिहायश के लिये व गौतवाडे के कार्य में लेता रहा है; उसका कब्जा नया नहीं है बल्कि सन् 1970 से पूर्व का है। अपीलाण्ट के पास विवादित भूखण्ड के अलावा अन्य कोई स्थान कृषि–उपकरण रखने एवं रिहायश के लिये नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि उसके हक में नियमन योग्य है। विवादित भूखण्ड में मौके पर कोई रास्ता नहीं है, विवादित भूखण्ड ग्राम बंध बरैठा की आबादी से लगा हुआ है एवं कृषि उपकरण के रख रखाव व मवेशी बॉधने के कार्य में आने के कारण धारा 16 राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान इसमें लागू नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के पास अपीलाण्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने का कोई साक्ष्य यथा पूर्व निर्णय की कोई प्रतिलिपि, पूर्व कब्जे से बेदखल करने बाबत् कोई साक्ष्य, घटनावही आदि नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को तीन माह की सजा से दण्डित किया है। विवादित भूखण्ड में अपीलाण्ट के अलावा अन्य लोगो के भी बहुत पुराने मकान बने हुए हैं। किन्तु पटवारी हल्का ने अन्य लोगो के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यों पर ध्यान ना देते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो अवैधानिक है व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से बॉइड है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0एल0डब्ल्यू 1970 पेज 165 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर, विवादित भूखण्ड को अपीलाण्ट के हक में गैतवाडे के लिये नियमन किये जाने के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट ने राजकीय भूमि गैर मुमकिन रास्ता सिवायचक पर अवैध कब्जा कर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लघंन किया है। अपीलाण्ट ने पूर्व में भी संव 2070 में उक्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया था जिसकी पुष्टि तहत अदालत में मुकदमा नम्बर 50/13 से होती है। अतः अपीलाण्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में ही आता है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्यायसंगत है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है अतः मियाद के बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2016 के निर्णय की अपील दिनांक 25.01.2017 को, विलम्ब से प्रस्तुत की है, जबकि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट की उपस्थित में, बाद सुनवाई पारित हुआ है। इसके अलावा प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का समुचित कारण भी स्पष्ट नहीं किया है। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है परन्तु न्यायहित में गुणावगुण पर भी सुना जा चुका है अतः हम गुणावगुण की विवेचना वांछनीय पाते हैं।

6. अपीलाण्ट स्वयं ने, अपील की मद संख्या 02 में विवादित भूमि पर, अपना कब्जा स्वीकारते हुए, पुराना कब्जा होना बताया जाकर, प्रस्तुत अपील के माध्यम से विवादित भूमि का अपने हक में नियमन कराने का अनुतोष चाहा है। अतिक्रमण का नियमन किया जाना कोई वैधानिक अधिकार एवं बाध्यकारी प्रावधान नहीं है। प्रश्नगत भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस तरह की भूमि का आवंटन/नियमन, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 से प्रतिबन्धित है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर0एल0डब्ल्यू0 1970 पेज 165 के तथ्य व प्रसंग वर्तमान अपील से पृथक हैं। नजीर में, ग्राम पंचायत द्वारा व्यक्ति विशेष के खेत में होकर निकलने वाले सार्वजनिक रास्ते में उक्त व्यक्ति द्वारा अवरोध करने पर, ग्राम पंचायत द्वारा, राजस्थान पंचायत अधिनियम अन्तर्गत पारित आदेश को, अति0 जिला कलक्टर द्वारा निरस्त किया गया है, परन्तु प्रस्तुत अपील में भूमि की किस्म सिवायचक गै0मु0 रास्ता है। अतः उक्त नजीर से, अपीलाण्ट कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है।

7. अपीलाण्ट के पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने की आपत्ति बाबत् हम पाते है अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बयाना ने अपने निर्णय दिनांक 15.10.2015 में मुकदमा नम्बर 50/13 का उल्लेख करते हुए, पूर्व में अपीलाण्ट का संवत 2070 में कब्जा करना बताया गया है परन्तु यह अतिक्रमण फसल, मकान अथवा किस प्रकार किया, कितने रकबा पर किया, इस अतिक्रमण से अपीलाण्ट को कब बेदखल किया बाबत् कोई विवरण, निर्णय में अंकित नहीं है। इसके अतिरिक्त संवत 2072 में विवादित भूमि पर पक्की दीवाल व छप्पर पोस डालकर निवास करना बताया है। यदि यह कथित निवास, पूर्व अतिक्रमण संवत 2070 में भी था तो पश्चात्वर्ती साबित करने के लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि संवत 2070 में निवास कब व किस प्रकार हटाया गया ? इस बिन्दु पर पुनः परीक्षण वांछनीय है।

8. हम अपीलाण्ट की इस आपत्ति को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं, अपीलाण्ट ने खसरा नम्बर 3413 गैर मुमकिन रास्ता पर अपने जैसे और भी अतिक्रमण होना कथन किया है अतः न्यायहित में अपेक्षित है कि तहसीलदार इस बाबत् जॉच करें व एक जैसे सभी प्रकरणों में एक समान कार्यवाही करें। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

9. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, विवादित आराजी से बेदखली व जुर्माना यथावत रखें जाते हैं एवं पश्चात्वर्ती अतिक्रमी एवं सिविल जेल सजा निरस्त कर, पुनः परीक्षण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.08.2018 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावें।

10. निर्णय आज दिनांक 12.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official